रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2012/माघ 14, 1933
No. 199] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2012

का.आ. 224(अ).— जबकि स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (यहां इसके बाद 'सिमी' के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और जिनमें देश की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने और धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को छिन्न-भिन्न करने की शक्ति है;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जो यहां इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या क्रमश: (i) का.आ. 960 (अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2001; (ii) का. आ. 1113 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2003; (iii) का. आ.191 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 2006; (iv) का. आ. 276 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2008 और (v) का. आ. 260 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2010 द्वारा सिमी को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया;

और जबकि, यह निर्णय करने के प्रयोजनार्थ कि सिमी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण (जो यहां इसके बाद 'अधिकरण' के रूप में निर्दिष्ट) गठित किया गया और अधिकरण ने आदेश संख्या क्रमश: (i) का.आ. 397 (अ) दिनांक 8 अप्रैल, 2002; (ii) का. आ. 499 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2004; (iii) का. आ. 1302 (अ), दिनांक 11 अगस्त, 2006; और (iv) का.आ. 1990 (अ) दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा प्रतिबंध को उचित ठहराया;

और जबकि, अधिकरण ने दिनांक 4 अगस्त, 2010 के आदेश द्वारा यह फैसला दिया कि उपर्युक्त दिनांक 5 फरवरी, 2010 की अधिसूचना स. का. आ. 260 (अ), अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के संदर्भ में अपेक्षा को पूरी करती है और उन्होंने सिमी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने की पुष्टि की;

और जबकि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (6) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष के प्रतिबंध की अवधि, 4 फरवरी 2012 को समाप्त हो जाएगी;

और जबकि केंद्रीय सरकार की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह राय है कि सिमी ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं; नामत:-

(क) 13 फरवरी, 2010 को जर्मन बेकरी, नोर्थ मेन रोड, कोरेगांव पार्क, पुणे में एक अत्यधिक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जिसमें सत्रह (17) व्यक्ति (पुरुष एवं महिलाएं) मारे गए एवं अन्य छप्पन (56) व्यक्ति घायल हुए जिनकी गम्भीरता अलग-अलग थी। मौके से एकत्र किए गए नमूनें जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ एस एल) और केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी ·एफ ·एस· एल), कैंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई), नई दिल्ली को भेजे गए हैं। विधिविज्ञान प्रयोगशाला ने मत व्यक्त किया है कि "पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन तेल सहित साइक्लोनाइट (आर · डी · एक्स), अमोनियम नाइट्रेट के अवशेषों की पहचान की गई है। आर डी एक्स को उच्च विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।" इस मामले से यह उदघाटित हुआ कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मिर्जा हिमायत इनायत गैंग उर्फ अहमद बेग इनायत मिर्जा उर्फ युसुफ ने वांछित अभियुक्त मोहसिन चौधरी, अहमद सिद्दिपप्पा उर्फ यासीन भटकल, इकबाल भटकल, रियाज़ भटकल के साथ मिलकर बम बनाने तथा दिनांक 13 फरवरी, 2010 को जर्मन बेकरी, पुणे में विस्फोट करने का एक षड्यंत्र रचा था। उपर्युक्त व्यक्तियों ने विद्रोह भड़काने के लिए विधिविरुद्ध तरीके से बम विस्फाट करने का यह अपराध किया था। आतंकी विरोधी दल (ए · टी · एस), मुम्बई, महाराष्ट्र ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18, 21 के साथ पठित एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आई · पी · सी) की धारा 302, 307, 326, 325, 324, 427, 120-ख के तहत एक आपराधिक मामला सं. 6/2010 (बंद गार्डन पुलिस थाना अपराध सं. 83/2010) दर्ज कराया है। दोषी व्यक्ति सिमी के सक्रिय सदस्य हैं।

(ख) आपराधिक मामला सं. 21/2010, ए·टी· एस मुंबई थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4, 5, 6 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 के साथ पठित धारा-120 ख, 465, 467, 468 के साथ पठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा-10, 13, 15, 18, 18(क) और 18 (ख) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। दो सिमी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त नागरिकों तथा सुरक्षा स्थापनाओं के विरुद्ध आतंकी क्रियाकलापों की योजना तैयार कर रहे थे और इनका समन्वय कर रहे थे। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने आर·डी·एक्स, डेटोनेटर्स आदि प्राप्त कर लिए थे लेकिन इससे पहले कि वे विस्फोट करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ग) दिनांक 22 अगस्त, 2011 को ए· टी · एस, थाणे यूनिट द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था। इस अभियुक्त को सत्तानवे हजार पाँच सौ रुपये की भारतीय जाली मुद्रा के साथ पकड़ा गया था। उसे इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य रियाज़ भटकल द्वारा वर्ष 2000 में अवैध तरीके से पाकिस्तान भेजा गया था। इस अभियुक्त ने अफगानिस्तान के कांधार सहित पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी जिसके पास से तीस हजार रुपये की जाली भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई थी। ए ·टी· एस, मुंबई,

महाराष्ट्र ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2008 में संशोधित) की धारा 15, 17 के साथ पठित भा.दं. संहिता की धारा 489-क, 489-ख, 489-ग के तहत आपराधिक मामला सं. 31/2011 दर्ज किया है। दोनों अभियुक्त प्रतिबंधित सिमी संगठन के सदस्य हैं;

(घ) आबिद रोड पुलिस थाने में भा.दं. संहिता की धारा 420, 468, 120-ख के तहत आपराधिक मामला सं.274/2011 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 121-क, 125, 126 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के साथ पठित धारा-10, 13 के तहत आपराधिक मामला सं. 312/2011 दर्ज किया गया था। एक अभियुक्त, सैयद अफाक इकबाल उर्फ दानिश इकबाल, सिमी का एक सदस्य, निवासी-रांची, झारखंड जो मानीनगर पुलिस थाना, अहमदाबाद (गुजरात) के आपराधिक मामला सं. 203/2008 में दोषी है, को गिरफ्तार किया गया था। उसने यह रहस्योद्घाटन किया कि वह वर्ष 2008 से हैदराबाद के विभिन्न स्थानों में रह रहा है। अहमदाबाद के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों सहित परीक्षणाधीन विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने फर्जी नामों से सिम काईस हासिल किए थे;

(ङ) 24 नवम्बर, 2010 को मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा सिमी के पूर्ववर्ती अखिल भारतीय सचिव, मुनीर देशमुख की गिरफ्तारी की गई थी जो मध्य प्रदेश के सात मामलों में शामिल था, ये सभी मामले सिमी के क्रियाकलापों से संबंधित थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 419 के तहत पुलिस थाना नारायणगुडा, पुलिस थाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आपराधिक मामला सं.245/2011 दर्ज किया गया है।

(च) पिकेट ड्यूटी के दौरान पुलिस कार्मिकों पर अभियुक्त द्वारा गोली चलाए जाने के आरोप में पुलिस थाना हुसैनी आलम, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में भा.दं. संहिता की धारा-34 के साथ पठित धारा 302, 120-ख, 122, 123, 124-क तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (i) (क) और 27 एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत आपराधिक मामला सं. 87/2010 दर्ज किया गया है।

(छ) दिनांक 15 मई, 2010 को पुलिस थाना सुन्तिकोप्पा, कोडगू जिला (कर्नाटक) में भा.दं. संहिता की धारा 143, 147, 148, 120-ख, 121, 121(क), 153 (क), 201, 149; विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा-10, 11, 13, 16, 18, 18(क) (ख) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत आपराधिक मामला सं. 37/2010 दर्ज किया गया है;

(ज) अदर बुक्स, कोझीकोड पर मारे गए छापे में पुलिस ने एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त किया था जिसमें ऐसी सामग्री पाई गई जो साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए हानिकारक हैं। पुस्तकों की दूकान का मालिक एक पूर्व-सिमी कार्यकर्ता है। टाउन पुलिस थाना, कोझीकोड, केरल में दंड प्रक्रिया संहिता (सी पी सी) की धारा 102 के तहत एक आपराधिक मामला सं. 424/2010 दर्ज किया गया है तथा दोषी को गिरफ्तार किया गया है;

(झ) ननमा बुक्स, कोझीकोड पर मारे गए छापे में पुलिस ने ऐसी वस्तुएं जब्त कीं जो साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए हानिकारक हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा भा.दं. संहिता की धारा 124 क, 153 क के तहत टाउन पुलिस थाना, कोझीकोड, केरल में एक आपराधिक मामला सं. 448/2010 दर्ज किया गया है;

(ञ) कोलेनगोड पुलिस थाने की सीमा के अंदर इदुक्कापारा मस्जिद, मुथालामाडा में स्टडी-क्लास संचालित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत कोलेंगोडा पुलिस, पलक्काड जिला, केरल में आपराधिक मामला संख्या 159/2011 दर्ज किया गया है। इक्कीस व्यक्तियों ने यह क्लास अटेंड की थी। पूछताछ करने पर यह उदघाटित हुआ था कि इक्कीस व्यक्तियों में से बीस व्यक्ति कोयम्बतूर के रहने वाले थे और एक व्यक्ति चेन्नै का रहने वाला था। मस्जिद में अध्ययन/कक्षा आयोजित करने का उद्देश्य, इबादत कैसे की जाए तथा निस्कारा आदि किस प्रकार किया जाए, के बारे में धार्मिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बताया गया था। इन इक्कीस व्यक्तियों में सिमी के कुछ पूर्व कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे। सभी इक्कीस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और वर्द्धित जमानत पर रखा गया था;

(ट) पुलिस थाना जी.आर.पी, रतलाम, मध्य प्रदेश में भा.दं.संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 15 के तहत आपराधिक मामला सं. 35/2011 दर्ज किया गया है। दिनांक 03 जुलाई, 2011 को ए.टी.एस. पुलिस दल पर गोलीबारी करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, इस घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। दोषी व्यक्ति सिमी संगठन के सदस्य हैं;

(ठ) पुलिस थाना कोतवाली, खंडवा, मध्य प्रदेश में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16, 18, 20 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27 के साथ पठित भा.दं. संहिता की धारा 153-क के तहत आपराधिक मामला सं. 319/2011 दर्ज किया गया है। बारह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा राज्य पुलिस द्वारा पाँच पिस्तौलें, दो रिवाल्वर, सोलह बुलेट और चार मोटर साइकलें, सिमी साहित्य तथा सी.डी बरामद की गईं एवं ज़ब्त की गईं। सभी अभियुक्त प्रतिबंधित सिमी संगठन के सदस्य हैं।

(ड) भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली, खंडवा, मध्य प्रदेश के आपराधिक मामला सं. 14/2009 और 164/2009 में जून-जुलाई, 2011 के बीच ग्यारह दोषी सिमी सदस्यों को विधिविरुद्ध क्रियाकलापों की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से दो पिस्तौलें, तीन बुलेट सहित एक पिस्तौल मैगजीन तथा एक मोटर साइकिल बरामद की और जब्त की;

(ढ) पुलिस थाना स्टेशन रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश में भा.दं. संहिता की धारा-307, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-25, 27 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा-10, 13, 16ख, 19 के तहत आपराधिक मामला सं. 224/2011 दर्ज किया गया है। तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सभी दोषी सिमी के सदस्य हैं। पुलिस ने उनके पास से एक रिवाल्वर, खाली कारतूस और सिमी साहित्य बरामद और जब्त किया।

(ण) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10,13,17,19 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 290/2011 को पुलिस स्टेशन मानक चौक, रतलाम, मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। पाँच–आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक सिमी का सदस्य है तथा अन्य आरोपी उसे उसकी गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं अर्थात् संगठन के लिए धन एकत्रित करना, सिमी के लिए नए सदस्य बनाना तथा सिमी संगठन के प्रसार के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। पुलिस ने जेहाद से संबंधित 4 सीडी, सिमी पर पाठ्य सामग्री, सरल कुरान पैरा 1 से 4, समाज सुधार पत्रिका अहदमाना बराहे आवाज के लिए सिमी की सदस्यता का फॉर्म, बम बनाने के लिए सूचना, तीन सिम तथा एक मोबाइल फोन आरोपी से बरामद किए।

(त) ए.टी.एस, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा आठ आरोपी व्यक्तियों को विधिविरुद्ध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, धन एकत्रित करने, बैंक डकैतियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने तथा सिमी की गतिविधियों में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया। मामला अपराध संख्या 04/2011 तथा 05/2011 को भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस ने सोना, पिस्टल, अवैध दस्तावेज तथा संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित पाठ्य सामग्री बरामद एवं जब्त की है।

(थ) मामला अपराध संख्या 431/2010 को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16, 17, 18 के अंतर्गत हनुमानगंज पुलिस स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। पाँच आरोपी गिरफ्तार किए गए तथा अकोला से एक सौ पचास ग्राम सोना, भूसवाल से 80 ग्राम सोना, कोलगाटा से 240 ग्राम सोना बरामद एवं जब्त किया गया। आरोपी सिमी के सदस्य हैं तथा सिमी संगठन को मजबूत करने के लिए तथा हथियार खरीदने के लिए डकैतियां कर रहे हैं।

(द) पुलिस स्टेशन, एटारसी होशंगाबाद में मामला अपराध संख्या 168/2010 में पुलिस स्टेशन बिरलाग्राम, उज्जैन में अपराध संख्या 112/2011 में तथा पुलिस स्टेशन बी.एन.पी देवास में अपराध संख्या 456/2009 में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि शस्त्र अधिनियम 1959, भारतीय दंड संहिता तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की

विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। आरोपी प्रतिबंधित सिमी संगठन के सदस्य हैं तथा संगठन को मजबूत करने, हथियार खरीदने, नए सदस्य बनाने तथा सफदर नागोरी एवं उसके सहयोगियों की जमानत के लिए धन एकत्रित करने हेतु डकैतियां कर रहे हैं।

(ध) पुलिस स्टेशन, अपराध पहचान शाखा, अहमदाबाद शहर, गुजरात में शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) (क) तथा (ङ) तथा 29 के साथ पठित आतंकवाद निवारक अधिनियम, 2002 की धारा 3 (3); 4, 20, 21 (2) (ख), 22 (3) (क) (ख) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख), 121 (1), 122 के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 2003 को मामला अपराध संख्या आई-16/2003 में छः सिमी कार्यकर्ताओं को अभिशस्त किया गया है। इन आरोपी व्यक्तियों को गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात बदले की कार्रवाई करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया।

(न) नौ सिमी कार्यकर्ताओं को दो वर्ष का कारावास दिया गया है तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के साथ पठित धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक पर 500 रु. का जुर्माना लगाया गया है तथा पुलिस स्टेशन-चाचौरा गुना, मध्य प्रदेश में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अंतर्गत दर्ज, मामला अपराध संख्या 104/2008 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अंतर्गत प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास दिया गया है तथा 500/- रु. का जुर्माना लगाया गया है।

(प) पुलिस स्टेशन-सदर बाजार, इंदौर, मध्य प्रदेश में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के अंतर्गत मामला संख्या 135/2008 में एक सिमी कार्यकर्ता मोहम्मद युनूस को दो वर्ष का कारावास दिया गया है तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(फ) पुलिस स्टेशन-उनहेल, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश में मामला अपराध संख्या 62/2008 में पाँच सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 124क के अंतर्गत प्रत्येक को 3 वर्ष का कारावास तथा 1 हजार पाँच सौ रुपये का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अंतर्गत प्रत्येक को दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक को एक वर्ष का कारावास तथा पाँच सौ रुपये का जुर्माना तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अंतर्गत पाँच वर्ष का कारावास तथा 2500/- रु. का जुर्माना लगाया गया है;

(ब) पुलिस स्टेशन हबीबगंज, भोपाल, मध्य प्रदेश में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ख, 295क के

अंतर्गत दर्ज मामला अपराध संख्या 626/2001 में एक सिमी कार्यकर्ता मुनीर देशमुख को तीन वर्ष का कारावास दिया गया है तथा 500/- रु. का जुर्माना लगाया गया है।

(भ) पुलिस स्टेशन शाहजहांबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क, 153ख के अंतर्गत अपराध संख्या 663/2000 में मुनीर देशमुख सहित छ: सिमी कार्यकर्ताओं में प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास दिया गया है तथा 500/- रु. का जुर्माना लगाया गया है। अभियोग पक्ष ने यह तर्क दिया था कि आरोपियों ने साम्प्रदायिक उपद्रव उत्पन्न करने की मंशा से भोपाल के शाहजहांबाद इलाके में 22 अक्तूबर, 2000 को पोस्टर चिपकाए।

(म) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153क, 153ख के अंतर्गत दर्ज पुलिस स्टेशन ए.टी. एस/एस. टी.एफ-इंदौर, मध्य प्रदेश के मामला अपराध संख्या 5/2009 में 30 अगस्त, 2011 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला तथा सत्र न्यायालय इंदौर के न्यायालय द्वारा तीन सिमी कार्यकर्ताओं को तीन वर्ष सख्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

(च) पुलिस स्टेशन-गोहालपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 637/1998 में 31 अक्तूबर, 2011 को जे. एम. एफ. सी न्यायालय ने दो सिमी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया तथा उनको गोहालपुर क्षेत्र में 1998 में साम्प्रदायिक सदभाव में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्येक को दो वर्ष का कारावास दिया गया तथा 500/- रु. का जुर्माना किया।

और जबकि केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त उल्लिखित के आधार पर यह मत है कि सिमी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की एकता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्द्वारा "स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित करती है।

और जबकि केन्द्रीय सरकार इसके आगे यह मत रखती है कि यदि सिमी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तत्काल नहीं रोका गया अथवा उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह

(i) अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां निरंतर रखने तथा भगौड़े कार्यकर्ताओं को पुन: संगठित करने में;

(ii) साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़कर लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित करके देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को चरमराने;

(iii) राष्ट्रद्रोही भावनाएं प्रसारित करने; तथा

(iv) उग्रवाद का सहयोग करके अलगाववाद को बढ़ावा देने में;

(v) देश की एकता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों द्वारा

इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं।

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि सिमी की गतिविधियों का ध्यान रखते हुए सिमी को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है तथा तदनुसार धारा 3 की उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 14017/5/2011-एन आई-III]

भगवान शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2012

S.O. 224(E).— Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the '**SIMI**') has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the '**Act**') the Central Government declared the SIMI as an unlawful association *vide* notification numbers, (i) S.O. 960 (E), dated the 27th September, 2001; (ii) S.O. 1113 (E), dated the 26th September, 2003; (iii) S.O. 191 (E), dated the 8th February, 2006; (iv) S.O. 276(E), dated the 7th February , 2008; and (v) S.O. 260 (E), dated 5th February, 2010, respectively;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the '**Tribunal**') was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as unlawful association and the Tribunal upheld the ban *vide* Order numbers, (i) S.O. 397 (E), dated 8th April, 2002; (ii) S.O. 499 (E) , dated 16th April, 2004; (iii) S.O.

1302 (E), dated the 11th August, 2006; and (iv) S.O. 1990 (E) dated 12th August, 2010, respectively;

And whereas, the Tribunal *vide* Order dated 4th August, 2010 held that the notification number S.O. 260 (E), dated 5th February, 2010 mentioned above satisfy the requirement of section 3 of the Act and in terms of section 4 of the Act, confirmed declaration of the SIMI as an unlawful association;

And whereas the duration of ban of 2 years from the date of notification conferred by sub-section (1) of section (6) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 will cease on 4th February, 2012;

And whereas the Central Government is of the opinion based, inter alia, on the following grounds that SIMI is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, namely:-

(a) On 13th February, 2010, a high intensity bomb blast occurred at German Bakery, North Main Road, Koregaon Park, Pune, in which seventeen persons (Male and Female) died and fifty-six others sustained injuries of different maganitude. The Samples collected from the spot have been sent for examination to the State Forensic Science Laboratory (FSL) and Central Forensic Science Laboratory (CFSL), Central Bureau of Investigation (CBI), New Delhi. The Forensic Science Laboratory (FSL) has opined that "Traces of Cyclonite (RDX), Ammonium Nitrate ions along with Petroleum Hydrocarbon oil are detected. RDX is used as High explosive". This case revealed that, the arrested accused Mirza Himayat Inayat Baig alias Ahmed Baig Inayat Mirza alias Yusuf had conspired with wanted accused Mohasin Choudhary, Ahmed Siddipappa alias Yasin Bhatkal, Iqbal Bhatkal, Riyaz Bhatkal to prepare and explode bomb at German Bakery, Pune on 13th February, 2010. The above persons by unlawful means had committed this offence of the

bomb blast for promoting insurgency. The Anti Terrorist Squad (ATS), Mumbai, Maharashtra have registered a case crime No. 6/2010 (Bund Garden Police Station Cr. No. 83/2010) under section 302, 307, 326, 325, 324, 427, 120B of Indian Penal Code (IPC) read with section 3, 4, 5 of the Explosive Substances Act read with section 16, 18, 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The accused persons are active members of SIMI;

(b) Case Crime No. 21/2010, at ATS Mumbai PS under section 10, 13, 15, 18, 18(a) and 18(b) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 read with section 120B, 465, 467, 468 read with section 419, 420 of I.P.C. read with section 3, 4, 5, 6 of the Explosive Substances Act, 1908 was registered. Two SIMI activists were arrested. The accused were planning, preparing and coordinating terrorist activities against civilian and security establishments. To accomplish the given task they received RDX, detonators, etc., but before they could strike they were apprehended;

(c) On 22nd August, 2011, one accused person was arrested by ATS, Thane Unit. The accused was found with Indian fake currency notes of ninety-seven thousand five hundred rupees. He was sent illegally to Pakistan in the year 2000 by Indian Mujahiddin member Riyaz Bhatkal. The accused had taken terrorist training in Pakistan as well as Kandhar in Afghanistan. Another accused was arrested and was found in possession of thirty thousand rupees fake Indian currency notes. The ATS, Mumbai, Maharashtra has registered Case Crime No. 31/2011 under section 489A, 489B, 489C of I.P.C. read with section 15, 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (amended in 2008). Both accused persons are members of banned SIMI organisation;

(d) Case Crime No. 274/2011 under section 420, 468, 120B of I.P.C. of Abid Road PS and Crime No. 312/2011 under section 120B, 121A, 125, 126 of I.P.C. and section 10, 13 read with section 3 of the Unlawful

Activities (Prevention) Act, 1967, was registered. One accused, Syed Afaque Equbal alias Danish Iqbal, a member of SIMI, resident of Ranchi, Jharkhand who is an accused in Case Crime No. 203/2008 of Maninagar PS, Ahmedabad (Gujarat) was arrested. He revealed that he resided at different places in Hyderabad since 2008. To avoid arrest in different cases under trial including Ahmedabad serial bomb blast, he obtained SIM cards under fictitious names;

(e) On 24th November, 2010, Muneer Deshmukh, former all India Secretary of SIMI was arrested by Madhya Pradesh Police for his involvement in seven cases in Madhya Pradesh, all pertaining to SIMI activities. Case Crime No. 245/2011, at PS Narayangudda PS, Hyderabad, Andhra Pradesh, has been registered under section 177, 419 of I.P.C.;

(f) Case Crime No. 87/2010, at PS Hussainialam, Hyderabad, Andhra Pradesh, has been registered under sections 302, 120B, 122, 123, 124A read with section 34 of I.P.C., section 25 (i)(A) and 27 of the Arms Act, 1959, section 16, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for opening fire by accused on the police personnel on picket duty;

(g) On 15th May, 2010, case crime No. 37/2010, at PS Suntikoppa, Kodagu district (Karnataka), has been registered under section 143, 147, 148, 120B, 121, 121(A), 153(A), 201, 149 of I.P.C., section 10, 11, 13, 16, 18, 18(A)(B) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 3 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908;

(h) In a raid conducted at Other Books, Kozhikode, police seized a computer hard disk containing materials which are harmful to communal harmony. The owner of the book shop is an ex-SIMI activist. A case crime No. 424/2010, at Town PS, Kozhikode, Kerala has been registered under section 102 of Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) and accused has been arrested;

(i) In a raid conducted at Nanma Books, Kozhikode, police seized articles which are harmful to communal harmony. One accused has been

arrested and a case crime no. 448/2010 registered at Town PS, Kozhikode, Kerala under section 124A, 153A of I.P.C.;

(j) Case Crime No. 159/2011, at Kollengoda Police, Palakkad District, Kerala has been registered under section 151 of Cr.P.C. for conducting a study class at Idukkappara Mosque, Muthalamada within Kollengode Police Station limits. Twenty one persons had attended the class. On enquiry, it was revealed that out of twenty-one persons, twenty belonged to Coimbatore and one belonged to Chennai. Their purpose of study/class in the mosque was said to be for attending religious classes regarding how to pray and how to perform Niskara, etc. Among the twenty-one persons some former activists of SIMI were also involved. All the twenty-one persons were arrested and enlarged on bail;

(k) Case Crime No. 35/2011, at PS GRP, Ratlam, Madhya Pradesh, has been registered under section 307 read with 34 of I.P.C. and section 10, 13, 15 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Two accused were arrested for firing on ATS Police Party on 3rd July, 2011, in which one Inspector died. The accused are members of SIMI organisation;

(l) Case Crime No. 319/2011, at PS Kotwali, Khandwa, Madhya Pradesh, has been registered under section 153A of I.P.C. read with section 3, 10, 13, 16, 18, 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 25, 27 of Arms Act, 1959. Twelve accused have been arrested and five pistols, two revolvers, sixteen bullets, four motor cycles, SIMI literatures and CD's have been recovered and seized by the State Police. All the accused are members of banned SIMI organisation;

(m) Eleven accused SIMI members have been arrested for planning unlawful activities between June-July, 2011 in case crime no. 14/2009 and 164/2009 of Kotwali, Khandwa, Madhya Pradesh under various sections of the Indian Penal Code, the Arms Act, 1959 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The Police recovered and seized two

pistols, one pistol magazine with three bullets and one motorcycle from the accused;

(n) Case Crime No. 224/2011, at PS Station Road, Ratlam, Madhya Pradesh has been registered under section 307 of I.P.C., sections 25, 27 of the Arms Act, 1959 and sections 10, 13, 16B, 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Three accused have been arrested. All the accused are members of SIMI. Police recovered and seized a Revolver, Blank Cartridge and SIMI literature from them;

(o) Case Crime No. 290/2011, at PS Manak Chawk, Ratlam, Madhya Pradesh, has been registered under section 153A of I.P.C. read with sections 10, 13, 17, 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Five accused have been arrested. One of the accused is a member of SIMI and other accused have been helping him in his activities, i.e., collection of money for organisation, enrolling new members for SIMI and providing materials for advertising the SIMI organisation. Police recovered and seized four CDs related to Jihad, SIMI literature, Easy Quran Para 1 to 4, Samaz Sudhar Patrika, SIMI membership form for Ahadmana Barahe Awaz, information about making Bomb, three SIM and one mobile phone from the accused;

(p) Eight accused were arrested by ATS, Bhopal, Madhya Pradesh for doing unlawful and anti-national activities, collection of money, doing bank robberies and targeting important persons. Case Crime No. 04/2011 and 05/2011 were registered under various sections of the Indian Penal Code, the Arms Act, 1959 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Police recovered and seized gold, pistol, illegal documents and literature related to activities of organisation;

(q) Case Crime No. 431/2010, at Hanhumanganj PS, Bhopal, Madhya Pradesh was registered under section 395, 397 of I.P.C., section 25 of the Arms Act, 1959 and sections 3, 10, 13, 16, 17, 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Five accused have been arrested and

one hundred fifty gram Gold from Akola, eighty gram Gold from Bhusawal, two hundred forty gram Gold from Kolgata have been recovered and seized. The accused are member of SIMI and doing robbery for purchasing arms and strengthening the SIMI organisation;

(r) Seventeen accused were arrested in Case Crime Nos. 168/2010 at PS Etarasi, Hoshangabad; Crime No. 112/2011 at PS Birlagram, Ujjain; and Crime No. 456/2009 at PS BNP, Dewas which were registered under various sections of the Arms Act, 1959, the Indian Penal Code and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Accused are members of banned SIMI organisation and doing robbery to collect money for strengthening the organisation, purchasing arms, making new members as well as for taking bail of Safdar Nagori and his supporters;

(s) Six SIMI activists have been convicted in case crime no. I-16/2003 dated the 11th December, 2003, registered under section 120B, 121(1), 122 of I.P.C. read with section 3(3), 4, 20, 21(2)(b), 22(3)(A), (B) of the Prevention of Terrorism Act, 2002 read with section 25(1) (a) and (e) and 29 the Arms Act, 1959, at PS Detection of Crime Branch, Ahmedabad City, Gujarat. These accused persons have been arrested for attempting to take revenge of post Godhara riots in Gujarat;

(t) Nine SIMI activists have been sentenced to two years imprisonment and a fine of five hundred rupees has been imposed on each under section 10 read with section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sentenced to three years imprisonment and a fine of five hundred rupees has been imposed on each under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, in case crime no. 104/2008, registered under sections 10, 11, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at PS-Chachaura, Guna, Madhya Pradesh;

(u) One SIMI activist, Md. Yunus had been sentenced to two years imprisonment and a fine of twenty-five thousand rupees has been imposed in case crime no. 135/2008, registered under section 153A of

the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at PS-Sadar Bazar, Indore, Madhya Pradesh;

(v) Five SIMI activists have been sentenced to three years imprisonment and a fine of one thousand five hundred rupees has been imposed on each under section 124A of I.P.C.; sentenced to two years imprisonment and a fine of one thousand rupees has been imposed on each under section 153A of I.P.C.; sentenced to one year imprisonment and a fine of five hundred rupees has been imposed on each under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sentenced to five years imprisonment and a fine of two thousand five hundred rupees has been imposed on each under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in case crime no. 62/2008 of PS-Unhel, District-Ujjain, Madhya Pradesh;

(w) One SIMI activist, Muneer Deshmukh had been sentenced to three years imprisonment and a fine of five hundred rupees has been imposed in case crime no. 626/2001, registered under sections 153B, 295A of I.P.C. read with sections 10, 11, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at PS-Habibganj, Bhopal, Madhya Pradesh;

(x) Six SIMI activists including Muneer Deshmukh have been sentenced to three years imprisonment and a fine of five hundred rupees has been imposed on each, in case crime no. 663/2000, registered under section 153A, 153B of I.P.C. at PS Shahjehanabad, Bhopal, Madhya Pradesh. The prosecution had contended that the accused have pasted posters in Shahjehanabad locality of Bhopal on 22nd October, 2000 with an intention to create communal disturbance;

(y) Three SIMI activists were sentenced to three years rigorous imprisonment by the Court of First Class Judicial Magistrate, District and Sessions Court, Indore on 30th August, 2011 in case crime no. 5/2009 of PS-ATS/STF, Indore, Madhya Pradesh, registered under sections 147, 149, 153A, 153B of I.P.C. read with sections 3, 10, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

(z) On 31st October, 2011, JMFC Court convicted two SIMI activists and sentenced them to two years imprisonment and fine of five hundred rupees has been imposed on each for destructive activities to disturb

communal harmony in Gohalpur area in 1998 in case crime No. 637/1998 registered under section 153A of I.P.C. at PS-Gohalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh;

And whereas the Central Government, based on the aforesaid grounds, is of the opinion that SIMI is believed to be indulging in activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) to be an "unlawful association";

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

(i) continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding;

(ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;

(iii) propagate anti-national sentiments;

(iv) escalate secessionism by supporting militancy; and

(v) undertake activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/5/2011-NI-III]

BHAGWAN SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.